स्वयं सहायता समूहों में सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा की पड़ताल

गुणात्मक अध्ययन सार

निरंतरः जेण्डर और शिक्षा संदर्भ समूह

जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) से जुड़ी हैं उनके जमीनी हालात कैसे हैं? क्या सदस्य होने से सभी को एक जैसे लाभ मिल पाते हैं या कुछ महिलाओं को औरों के मुकाबले ज्यादा लाभ मिलते हैं? इन कार्यक्रमों की सफलता या विफलता के कारण क्या हैं? एस.एच.जी. परिघटना से सशक्तीकरण और गरीबी के विमर्श पर क्या असर पड़े हैं? राजकीय उत्तरदायित्व के लिए इस घटनाक्रम का क्या अर्थ है?

इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए निरंतर ने स्वयं सहायता समूहों का एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने शिक्षा की स्थिति के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों को समझने का प्रयास कियाः

- स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद औरतों के जीवन में जो फर्क आए हैं, खासतौर से सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से, उनके बारे में औरतों की राय क्या है।
- इन समूहों के ज़रिए लैंगिक न्याय और समानता के सवालों को किस हद तक संबोधित किया जाता है।
- इस बात का पता लगाया जाए कि प्रायोजक एजेंसियां सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में किस हद तक कामयाब रही हैं।

संदर्भ

ऋण–गरीब औरतों का अधिकार है। यह बात अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली औरतों के अधिकारों के लिए चले संघर्षों में पहले भी उठती रही है। महिलाओं के समूह बनाने की सोच में उनके अधिकारों का सवाल महत्त्वपूर्ण था। बचत व ऋण के सवाल उस व्यापक तस्वीर का एक हिस्सा थे। लेकिन नब्बे के दशक की शुरुआत से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण को मात्र एक 'ज़रिए' की तरह देखा जाने लगा था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) की विफलता और पुरुषों द्वारा बड़ी संख्या में कर्ज़े न लौटा पाने के फलस्वरूप भारत सरकार ने सूक्ष्म ऋण गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों को महत्त्व देना शुरू कर दिया था। इसमें क्या संदेह है कि अगर औरतें कर्ज़ा लौटाने के लिए एक–दूसरे पर दबाव डालने लगें तो उनके संगठनों से कर्ज़ा वापस आने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। सरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रयोग की देखा–देखी बहुत सारे सूक्ष्म वित्त संस्थान (एम.एफ.आई.) और बैंक भी ऋण देने और उसकी वसूली करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन और प्रयोग करने लगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंचने के लिए स्वैच्छिक संगठन भी स्वयं सहायता समूहों का सहारा लेने लगे। स्वैच्छिक संगठनों पर दाता संस्थाओं का भी दबाव था जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।

एच.एच.जी. परिघटना का आकार बहुत बड़ा है। सरकार द्वारा चलायी जा रही अकेले एस.जी.एस.वाई. (स्वर्ग जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना) के तहत ही लगभग 20 लाख स्वयं सहायता समूहों को मदद दी जा रही है। नाबार्ड के स्वयं सहायता

लेखिका – जया शर्मा
सोमा के.पी.
(2007)

निरंतर
बी-64, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-110017
फोन : 011-26966334 टेलीफैक्सः 011–26517726
ईमेल : nirantar@vsnl.com

समूह–बैंक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1.6 करोड़ गरीब परिवार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के संपर्क में आ चुके हैं। इन स्वयं सहायता समूहों में से 90 प्रतिशत में केवल महिलाएं ही सदस्य हैं।

पद्धति

इस अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों को शिक्षा के आईने से देखने का प्रयास किया गया है। यहां शिक्षा से हमारा आशय सीखने की ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें साक्षरता, सूचनाओं तक पहुंच और आलोचनात्मक सोच की क्षमता अर्जित करना भी शामिल होता है ताकि सीखने वाले अपने यथार्थ और व्यापक संरचनाओं व विचारधाराओं के बीच फर्क समझें।

यह रिपोर्ट मोटे तौर पर 6 एच.एच.जी. योजनाओं के सघन, गुणात्मक अध्ययन पर आधारित है। नीचे से ऊपर की दिशा में केंद्रित इस पद्धति में स्वय सहायता समूहों के सदस्यों और उनके प्रायोजकों से विस्तृत साक्षात्कार लिए गए। जिन कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया उनमें से दो–स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और द्वाकरा – को भारत सरकार के दो महत्त्वपूर्ण विभागों की देखरेख में चलाया जा रहा है। स्वशक्ति और वेलुगू ये दोनों योजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही हैं। इन्हें भी सरकारी विभागों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अंतिम दोनों हस्तक्षेप, यानी पीस और आनंदी स्वैच्छिक संगठन हैं जो स्वयं सहायता समूहों को मदद देते हैं। रिपोर्ट में निरंतर द्वारा 16 राज्यों में किए गए 2750 स्वयं सहायता समूहो के सर्वेक्षण का भी इस्तेमाल किया गया है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्षों को तीन भागों में बांटा गया है।

- जो औरतें स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं उनके जीवन की वास्तविकता।
- एस.एच.जी. सदस्यों को एस.एच.जी. प्रोत्साहकों की आरे से उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षिक अवसरों का स्तर और स्वरूप।
- उपरोक्त कार्यक्रमों के अध्ययन से उभरने वाला पैटर्न को इस रिपोर्ट में सूक्ष्म ऋण का 'तर्क' कहा गया है। यहां अंतर्निहित सोच को खोलकर सामने रखा गया है और इस बारे में चर्चा की गई है कि उनसे सशक्तीकरण, गरीबी व विकास के विमर्श पर क्या प्रभाव पड़ते हैं।

नीचे हमने तीनों भागों के निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया है।

जब किसी स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया जाता है तो उससे न केवल संकट से उबरने में मदद मिलती है। ये ऋण खन–पान से जुड़ी ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने से औरतों को सार्वजनिक क्षेत्र में दाखिल होने का जायज़ अवसर मिलता है। उनकी आवाजाही पर लगी बंदिशें भी कम हो जाती हैं। खासतौर से स्वयं सहायता समूहों की नेताओं को आसानी से यहां–वहां जाने के मौके मिल पाते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग लैंगिक न्याय और समानता के प्रति वाकई गंभीर हैं और जहां जरूरी सहयोगी प्रक्रियाओं की रचना की गई हैं, यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो महिला सशक्तीकरण व गरीबी उन्मूलन के दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच भारी फर्क बना हुआ है।

स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए आजीविका की स्थिति में सुधार का दावा बहुत किया जाता है। इन दावों की पुष्टि के लिए हमें ठोस साक्ष्य नहीं मिले। स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को पैसा तो मिलता है लेकिन इस बात पर उनका कोई वश नहीं होता कि इस पैसे से जो खरीदा जाएगा उन पर भी औरतों का नियंत्रण रहे। यह समस्या तब और दुखद दिखाई देने लगती है जब हम देखते हैं कि कर्ज़ा चुकाने की जिम्मेदारी फिर भी मुख्य रूप से औरतों पर ही रहती है। इतना ही नहीं, इन स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहक आमतौर पर साझा संपत्ति संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं की बजाय सूक्ष्म ऋण उद्यमों (माइक्रो क्रेडिट एन्टरप्राइज़) को ही बढ़ावा देते हैं। सूख्म ऋण उद्यमों के लिए जिन विकल्पों का चुनाव किया जाता

है वे प्रायः अव्यवहारिक होते हैं। उनके लिए प्रोत्साहक अन्य सहयोग विशेष रूप से बाज़ार आदि के साथ चुड़ाव की व्यवस्था भी नहीं करते।

एस.एच.जी. परिघटना ने 'अच्छी औरत' की अवधारणा में अब एक और आयाम जोड़ दिया है। स्वयं सहायता समूह की सदस्याओं को ऐसी औरत के रूप में देखा जाता है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए बचत करती है, कर्ज़ा समय पर चुकाती है और साथी औरतों को भी समय पर कर्ज़ा चुकाने के लिए उकसाती है; वह ऐसी औरत है जो अपने परिवार की माली हालत सुधारने में योगदान देती है लेकिन परिवार और समुदाय की सामाजिक मूल्य–मान्यताओं को चोट नहीं पहुंचाती। इस सोच को सींचते हुए स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहक इस बात से ध्यान बंटाने में कामयाब हो जाते हैं कि औरत अपने परिवार में पहले से ही बहुत सारा गैर–आर्थिक योगदान दे रही थी। वे इस संभावना को भी कमज़ोर कर देते हैं कि औरत सिर्फ अपने परिवार की सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि अधिकारसंपन्न व्यक्ति के रूप में भी उसका अस्तित्व है।

औरतों के लिए स्वयं सहायता समूह परिवार के बाहर एक महत्त्वपूर्ण मंच होता है। लेकिन लैंगिक न्याय और समानता के मुद्दों को संबांधित करने के लिए उन्हें यहां भी जगह नहीं मिलती। स्वयं सहायता समूहों के एजेंडा में तो बस नियमित बचत और समय पर ऋण अदायगी का सवाल ही छाया रहता है। बहुत सारे लोग इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह असल में कई लोगों को अपने से बाहर रख रहा है। सबसे गरीब तबके की औरतें छूट जा रही हैं जिनमें दलित, मुसलमान और आदिवासी महिलाएं शामिल हैं। इन तबकों के लोग न तो नियमित रूप से बचत कर सकते हैं और न ही समय पर कर्ज़ा चुकाने ना अपने उद्यम को चलाने के लिए आवश्यक जोखिम उठाने की स्थिति में होते हैं।

स्वयं सहायता समूहों को शिक्षा और साक्षरता से जुड़े न्यूनतम ही मौके दिए जाते हैं। इस दिशा में एस.एच.जी. प्रोत्साहकों की ओर से जो मौके उपलब्ध कराए जाते हैं वे नज़रिए और विषयवस्तु, दोनों लिहाज से बहुत सीमित व सतही होते हैं। उनका बस यही उद्देश्य होता है कि महिलाएं इतना सीख जाएं कि आर्थिक कार्यकुशलता और प्रबंधकीय जिम्मेदारियों को संभालने लगें ताकि बचत करने और समय पर कर्ज़े चुकाने में झंझट न हो। और तो और मूलभूत साक्षरता के लिए भी बहुत सीमित प्रयास ही किए जाते हैं। ऐसी कोशिशों में चलाऊपन का भाव हावी रहता है और उन्हें अक्सर बीच में ही अधूरा छोड़ दिया जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि औरतों को सूक्ष्म ऋण का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यह तो सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में सिर्फ एक कदम ही होता है। सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर सूक्ष्म ऋण आधारित स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन एस.एच.जी. सदस्यों को आवश्यक शैक्षणिक सहायता क्यों उपलब्ध नहीं कराना चाहते जबकि उसके बिना इन लक्ष्यों को हासिल किया ही नहीं जा सकता?

अध्ययन से कई महत्त्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं। यह धारणा बहुत व्यापक है कि यदि औरतों को आर्थिक संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध करा दी जाए तो इससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण होने लगेगा और वे स्वाभाविक रूप से सामाजिक सशक्तीकरण की राह पर भी बढ़ने लगेंगी। सशक्तीकरण को आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की श्रेणियों में बांटने का कोई तुक नहीं है। अध्ययन से पता चलता है कि अगर गरीब औरतों को आर्थिक संसाधनों तक पहुंच मिल जाती है तो इसका स्वाभाविक मतलब यह नहीं है कि वे दुनिया में अपनी हैसियत को भी अपने हिसाब से बदलने में सक्षम हो जाएंगी। उनके शक्तीकरण के लिए शैक्षणिक सहायता भी आवश्यक है जिसके सहारे वे दुनिया को आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकें।

इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक शक्तिकरण का अनावयक फर्क पैदा करने से सरकारों को न केवल महिलाओं की शिक्षा, बल्कि अन्य सामाजिक सेवाओं पर भी कम खर्च करने या खर्चे में कटौती करने का बहाना मिल जाता है। इस आधार पर सरकार को संरचनागत असमानताओं को अनदेखा करने का मौका मिल जाता है और सरकार इन असमानताओं को दूर करने की जिम्मेदारी से बच निकलती है। जब सरकार स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन का दावा करती है तो दरअसल सरकार सबको भोजन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की जवाबदेही से भी बचने की कोशिश कर रही होती है। एस.एच.जी. परिघटना विकास के विमर्श को विकृत करके एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिसमें गरीबी उन्मूलन की ज़िम्मेदारी गरीबों के ही कंधों पर सिमटती दिखाई देने लगी है।

एक तरफ है गरीब औरतों की स्थिति और उनकी शिक्षा के मौकों की कमी। दूसरी तरफ है प्रोत्साहकों को स्वयं सहायता समूह से मिलने वाला बेहिसाब फायदा। बैंक और सूक्ष्म ऋण संस्थानों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से न केवल अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है बल्कि बहुत कम लागत पर करोड़ों औरतों की बचत भी उनके हाथ में आ गई है। दाता एजेंसियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वैछिक संगठन भी आत्मनिर्भरता की स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस कठिन मंज़िल पर पहुंचने के लिए स्वयं सहायता समूह उनके लिए ज़रूरी हैं। राज्य सरकारें एस.एच.जी. कार्यक्रमों के लिए केंद्रिय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, विभिन्न नीतियों और योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एस.एच.जी. सदस्यों को मुफ्त श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और लगे हाथ उनके बीच अपना राजनीतिक जनाधार फैलाकर उन्हें वोट बैंक के रूप में भी खूब इस्तेमाल कर रही हैं। स्थानीय पंचायतें स्वयं सहायता समूहों के जरिए अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करती हैं। पंचायतों से उन स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा मदद मिलती है जिनसे संबंधित पंचायत पदाधिकारियों को समर्थन और फायदा मिलता है। व्यावसायिक कंपनियां स्वयं सहायता समूहों के कंधे पर चढ़ कर विशाल ग्रामीण उपभोक्ता बाज़ार में घुस रही हैं।

सिफारिशें

यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि स्वयं सहायता समूह औरतों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में योगदान दें? यह लक्ष्य प्राप्त करने के कई तरीके हैं। स्वयं सहायता समूहों का केंद्र बिंदु औरतों को ही बनाया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूह कर्ज़ा बांटने के साधन भर नहीं हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करने का ज़रिया नहीं। न ही ये संसाधनों तक किसी परिवार की पहुंच सुनिश्चित करने के साधन हैं। इन समूहों में औरतों को मुख्य पात्रों के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके सशक्तीकरण के किसी नतीज़े के रूप में नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।

एस.एच.जी. प्रोत्साहकों को अपने कार्यक्रमों में गंभीर और बहुआयामी शैक्षणिक आयामों का समावेश करना चाहिए। यह शैक्षणिक सहायता ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से औरतें अपनी दुनिया को आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकें। इन शैक्षणिक कार्यक्रमों के ज़रिए महिलाओं को मूलभूत साक्षरता के साथ–साथ समानता, बाजार अर्थव्यवस्था, रोजगार, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, कानूनी अधिकार और जेंडर आदि को भी जानने–बूझने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। औरतें अपने हकों को पहचानें इसके लिए सबलीकरण की दिशा में केंद्रित शैक्षणिक अवसरों की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। यदि इस आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए तो न केवल वे स्वयं सहायता समूहों के भीतर अन्य दावेदारों से सही ढंग से निपट सकेंगी, बल्कि ऐसे कायदे–कानूनों को भी चुनौती दे सकेंगी जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहकों को चाहिए कि वे केवल नियमित बचत और ऋण अदायगी के लक्ष्य पर ही नहीं बल्कि महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वित्तीय संसाधनों की सार–संभाल सशक्तीकरण की प्रक्रिया का केवल एक अंग हो सकता है।

एस.एच.जी. प्रोत्साहकों को सशक्तीकरण के उद्देश्यों को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहिए ताकि उन्हें उन उद्देश्यों के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सके। सार्थक और व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहकों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के सतही फर्क से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

और अंत में, सरकार को इस परिघटना की उच्च स्तरीय समीक्षा शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए जो स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में औरतों की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करे। हमारे देश में एस.एच.जी. – आधारित कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए ऐसी स्वतंत्र समिति का फौरन गठन कियाज ाना चाहिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वे कार्यक्रम के फ्रेमवर्क, एप्रोच और रूपरेखा में उचित बदलावों का सुझाव देना चाहिए और साथ ही व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों के स्तर पर ऐसे बदलावों के बारे में भी सुझाव देना चाहिए जिनके सहारे महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सकात है। यदि एस.एच.जी. प्रोत्साहक वाकई महिलाओं का सशक्तीकरण करना चाहते हैं तो उन्हें अपने तौर–तरीकों में भादी बदलाव करने होंगे।